न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

अधिहरण वाद संख्या–23/2021
अंदर धारा–58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

सरकार बनाम राम किसुन पासवान एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
	यह वाद समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय से विधिवत निष्पादन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त है। इस वाद की कार्यवाही अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (ज्ञाप सं0–1246/म0नि0, दिनांक 31.12.2020) के आलोक में फारबिसगंज अंचल उत्पाद कांड संख्या–39/2020, दिनांक 24.12.2020, धारा–30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 में जब्त दो पहिया वाहन टी0भी0एस0 स्टार सिटी मोटर साईकिल पंजीयन संख्या–BR38A-8838, चेसीस संख्या–MD625KF5X61F56579, ईंजन संख्या–N8010459US1 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा–58 के अंतर्गत राजसात करने हेतु प्रारम्भ की गई। विपक्षी सूचनोपरांत लगातार अनुपस्थित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें इस वाद में कोई रूचि नहीं है। तत्पश्चात् इस वाद को आदेश पर रखा गया। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अवर निरीक्षक, प्रहार बल, अररिया को दिनांक 24.12.2020 को सहायक अवर निरीक्षक, मद्यनिषेध जवानों के साथ विभागीय वाहन से प्रस्थान किये। एस0एस0बी0 कैम्प नीरपुर, ग्राम–नीरपुर, थाना–जोगबनी, जिला–अररिया के पास दो पहिया वाहन मोटर साईकिल का जाँच किया गया। दो स्वतंत्र गवाहों के समक्ष मोटर साईकिल की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान दो पहिया वाहन मोटर साईकिल के सीट के नीचे तथा मोटर साईकिल पर बांध कर रखे गये एक प्लास्टिक के थैले से कुल 21 बोतल प्रति बोतल 300 मिली लीटर, कुल–6.300 लीटर नेपाली देशी उमंगा शराब बरामद किया गया। बरामद शराब एवं एवं मोटर साईकिल को विधिवत जब्ती सूची बनाकर जब्त किय गया। अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन में शराब की पुष्टि की गई है। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी द्वारा अवैध शराब का जब्त मोटर साईकिल से परिवहन कर बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 का उल्लंघन किया गया है। जब्त मोटर साईकिल राजसात होने योग्य है। अधीक्षक, मद्यनिषेध, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन और संलग्न कागजातों के परिशीलन से इस न्यायालय को यह समाधान हो गया है कि विपक्षी का जब्त मोटर साईकिल पंजीयन संख्या– BR38A-8838 का उपयोग अवैध शराब को व्यवसायिक उद्देश्य से ढ़ोने में प्रयुक्त किया गया है। जब्त मोटर साईकिल बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 56(ख) के अंतर्गत राजसात होने योग्य है। तदनुसार फारबिसगंज अंचल उत्पाद कांड संख्या–39/2020, दिनांक 24.12.2020 में जब्त मोटर साईकिल **पंजीयन संख्या–BR38A-8838, चेसीस संख्या–MD625KF5X61F56579, ईजन संख्या–N8010459US1** को बिहार	

मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 58(2) के अंतर्गत राजसात(Confiscate) किया जाता है। अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को निदेश दिया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित अधिनियम, 2018) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को प्रेषित करें।

विपक्षी यदि चाहें तो उक्त आदेश के विरूद्ध बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–92(2) के अंतर्गत उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के न्यायालय में पारित आदेश के 90 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकते हैं।

उक्त आदेश/निदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित,

अपर समाहर्त्ता,
अररिया

अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ज्ञापांक 71 /रा(न्या0), अररिया, दिनांक 26/08/2021

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि प्रशाखा, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अधीक्षक, मद्य निषेध, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/8/2021

अपर समाहर्त्ता,
अररिया